Schedule XLII-High Court (J) 19[old (M)164]

अनुमन्डल न्यायालय–असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णियाँ, बिहार

समक्ष– सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व निष्पादन वाद सं.– 02/2016 सी.आई.एस.क्र.– 02/2016

अजीत कुमार एवं अन्य बनाम ज्वाला प्रसाद सिंह एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
12.09.2025	डिक्रीदार की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजरी है। निर्णित ऋणी की कोई पैरवी नहीं है। यह निष्पादन वाद निर्णित ऋणी की ओर से प्रस्तुत निष्पादन वाद पर सुनवाई एवं आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। पुकार पर निर्णित ऋणी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुये एवं समर्पित किया गया है कि स्वत्व वाद सं0 62/2002 में पारित डिक्री के निष्पादन हेतु यह निष्पादन वाद प्रस्तुत किया गया है। अतः निवेदन है कि स्वत्व वाद सं0 62/2002 में पारित डिक्री के आलोक में निर्णित ऋणी के विरूद्ध डिक्री का निष्पादन कराये जाने की कृपा की जाये। निर्णित ऋणी सं0 2, 2ए से 2बी के विरूद्ध एकपक्षीय सुनवाई चल रही है तथा निर्णित ऋणी सं0 1 के द्वारा इस निष्पादन आवेदन पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं किया गया है न ही उक्त निर्णित ऋणी पुकार पर सुनवाई हेतु उपस्थित हुये। डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि डिक्रीदार के द्वारा स्वत्व बंधक वाद सं0 – 62/2002 में दिनांक 07.11.2015 को पारित निर्णय एवं तद्नुसार निर्मित बिक्री के निष्पादन हेतु डिक्रीदार के द्वारा यह निष्पादन वाद प्रस्तुत किया गया है। अभिलेख पर स्वत्व बंधक वाद सं0 62/2002 में पारित निर्णय एवं डिक्री उपलब्ध है जिसके अवलोकन से प्रतीत होता है कि उक्त स्वत्व बंधक वाद में न्यायालय के द्वारा वादी/डिक्रीदार के पक्ष में बंधक मोचन की डिक्री पारित कर प्रतिवादी/निर्णित ऋणी को आदेशित किया गया है कि वह बंधक धनराशि प्राप्त कर बंधक विलेख एवं बंधक संपत्ति का कब्जा वादी/डिक्रीदार को निर्णय की तिथि से 6 माह के भीतर प्रदत्त कर दे तथा प्रतिवादी/निर्णित ऋणी के द्वारा आदेश का पालन ने किये जाने की दशा में वादी/डिक्रीदार को बंधक राशि न्यायालय में जमा करने एवं बंधक विलेख दिनांक 20.06.1996 के आलोक में बंधक विलेख निष्पादित कर प्रस्तुत किये जाने का निर्देश दिया गया है। अभिलेख पर उपलब्ध स्वत्व बंधक वाद सं0 62/2002 के निर्णय एवं डिक्री के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादी/डिक्रीदार को बंधक धनराशि 5000/– का मोचन कराने का हकदार घोषित किया गया है। ऐसी दशा में डिक्रीदार को निर्देश दिया जाता है कि वह बंधक धनराशि मो0 5000/– (पांच हजार रूपये) न्यायालय में जमा करें। तत्पश्चात कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह बंधक धनराशि को प्राप्त किये जाने एवं बंधक विलेख को बंधक के मोचन के पृष्ठांकन पश्चात डिक्रीदार/न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्णित ऋणी सं0 1 श्री ज्वाला प्रसाद सिंह, पिता – ठाकुर भीष्म प्रताप सिंह को सूचना निर्गत करे। वाद आगामी दिनांक 07.10.2025 वास्ते अग्रिम कारवाई हेतु। हस्ताक्षर ह0/– अ.सै.न्यायाधीश वरीय कोटि बनमनखी, पूर्णियाँ	